न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः **GCMS No.-2024/567**

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1— गोरखाराम पुत्र स्व. मंशाराम विश्नोई उम्र—70 वर्ष 2— झमकू पत्नी गोरखाराम, उम्र—71 वर्ष जाति विश्नोई, निवासीगण— इन्द्रा कॉलोनी, धोबी घाट, महामन्दिर, जोधपुर		1—पूनाराम पुत्र गोरखाराम, उम्र—48 वर्ष 2—प्रेमलता पत्नी पूनाराम, उम्र—40 वर्ष 3—मनोज पुत्र पूनाराम, उम्र— 21 वर्ष 4—रामनिवास पुत्र पूनाराम, उम्र— 18 वर्ष जाति विश्नोई, निवासीगण— जगदम्बा कॉलोनी, माता का थान, मगरा पूंजला, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2024 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 23/2023 गोरखाराम व अन्य बनाम पूनाराम व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थी संख्या—01 उपस्थित।
2—प्रत्यर्थीपक्ष संख्या—01 उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अप्रार्थीगण को जाययदा से बेदखल करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2024 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से सद्व्यवहार बनाये रखने, किसी भी प्रकार से मार—पीट, लड़ाई—झगड़ा नही करने एवं बीमार होने की स्थिति में सेवा—चाकरी, दवाईयों की व्यवस्था करने हेतु पाबंद किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील दर्ज (GCMS No.-2024/567) कर प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामिल दिनांक 09.12.2024 को प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 05.02.2025 को उपस्थित प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या–1 व अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 व 3 का पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 व 4 क्रमशः पुत्र, पुत्रवधु व पौत्र है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण को जायदाद से बेदखल करने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा गया कि अपीलांट जो पूर्व में राजस्थान पुलिस में हैड कानिस्टेबल के पद पर वर्ष 1964 में तैनात हुआ था, तब उसने अपने स्वयं की निजी आमदनी से 1999 में जगदम्बा कॉलोनी, माता का थान मगरा पूंजला, जोधपुर पर एक बड़ा प्लॉट बनाप 4500 वर्गफुट यादराम पुत्र श्री बुधराम के साथ मिलकर खरीद किया था और खरीद करने के बाद इस प्लॉट को दो बराबर हिस्सों में विभक्त कर अपने हक हिस्से के प्लॉट बनाप 47 बाई 45 फुट पर अपनी स्वयं अर्जित आय से अर्जित पूंजी से उक्त प्लॉट के आधे हिस्से पर मकान निर्मित करवाया जो वर्तमान में आज भी मकान का स्वरूप है और एक मंजिला आवासीय मकान के रूप में स्थापित है व एक हिस्सा खाली है। उक्त मकान व खाली प्लॉट पर अपीलार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा, दखल, अधिकार, वास्ता, सरोकार आदि नहीं है। अप्रार्थी पूनाराम जो पूर्व में कभी भी अपीलार्थीगण के साथ नही रहा ने अपीलार्थीगण को रहवास करने के लिये मकान की जरूरत बताई तब अपीलार्थीगण ने अपनी खरीदसुदा आवासीय भूखण्ड पर बनी ईमारत में एक भाग पूनाराम को रहने के लिये दिया था और उक्त मकान लेते समय उसने विश्वास दिलाया था कि वह अपीलार्थी की सेवा चाकरी करेगा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद अप्रार्थीगण अपीलार्थी से नाराज रहने लगें व उनका व्यवहार अपीलार्थीगण के साथ बिगडने लगा। अप्रार्थीगण उनकी इज्जत नही करते है, गाली गलौच करते है और अपीलार्थीगण पर दबाव बनाते है कि खाली पड़ा प्लॉट भी अप्रार्थीगणों को दे दिया जावें व आधा प्लॉट अपीलार्थीगण के दूसरे पुत्र तेजसिंह को दिया हुआ है, उस पर भी जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर उतारू रहते है व समझाने पर जान से मारने की धमकीयां देते है। अपीलार्थी व उसकी पत्नि की बीमारी इत्यादि मे कोई सेवा चाकरी या भरण पोषण नही करते है, उल्टा उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से अप्रार्थीगण द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अप्रार्थीगण का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता गया और गाली गलौच करना, मारपीट करना हमेशा की आदत बन गई तब अपीलार्थी ने दिनांक–13/01/2023 को उक्त पूनाराम वगैराह के विरूद्ध पुलिस थाना

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

नागोरी गेट, जोधपुर में इस बाबत अव्वल रिपोर्ट भी दर्ज करवाई हैं। जिससे उक्त पूनाराम वगैराह अपीलार्थी से सख्त नाराज हो गये है और उन्हें हर वक्त जान से मारने की धमकीयां देते हैं उनकी धमकीयों से अपीलार्थी व उसकी पत्नि जो कि वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुँचे हुये है और कई बीमारीयों से ग्रसित है, बुरी तरह सहम गये है और रहना दुर्भर हो गया हैं। बहस के अंत में अपीलार्थी संख्या 01 द्वारा अपने रहवासीय मकान में से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को बेदखल करवाकर उसका कब्जा सुपुर्द कराने तथा उनके शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की। अपीलार्थी संख्या–01 द्वारा न्यायिक दृष्टांत के रूप में 2025 INSC 20, SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NO. 10927 OF 2024 (Arising Out of Special Leave Petition (Civil) No. 720 of 2023 Urmila Dixit Vs. Sunil Sharan Dixit and Ors. Judgment date 02/01/2025 And Smt- Kavitha R Vs. State of Karnataka on 8 November 2023, High Court of Karnataka at Bengalaru NC 2023: KHC, 39818-DB WA No. 488 of 2023 पेश किया जिसका ससम्मान अध्ययन किया गया।

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 व 3 ने बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण की ओर से मनगढ़त तरीके से तंग परेशान करने की नीयत से झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी ने अपनी वास्तविक आय पेंशन व किराये से आने वाली आय व अन्य सम्पतियों का जान बुझकर विवरण नही दिया है। अपीलार्थी छोटे पुत्र, पुत्रवधु व ससुराल वालों के सिखावे व प्रभाव में आकर अप्रार्थीगण को तंग/परेशान कर रहे है। अप्रार्थीगण आर्थिक तौर पर अत्यधिक कमजोर व अल्प आय वर्ग वाले है, स्वंय का लालन पालन करने में भी समर्थ नही है तथा सभी परिवार के बड़े व छोटे मेहनत मजदूरी कर घर चला रहे है। बहस के अंत में अप्रार्थी संख्या –1 व 3 ने अपील झूठे व मनगढ़त तरीके से तथ्यों को छुपाकर पेश करने से खारिज करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से अपनी जायदाद रहवासीय मकान में से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाने का निवेदन किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण व प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जाना उचित है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाकर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखा जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)